

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अंतिम दिनांक 30/03/2011

वर्ग 1 बैठक का दिनांक 08/04/2011 विभाग का नाम पंचायत और ग्रामीण विकास

विषय:- नरेगा में मांग होने के बाद भी पंचायतों को समय पर राशि नहीं मिलने बावजूत।

(संश्लेषित प्रश्न क्रमांक 7474) श्री बृजमोहन धूत

क्या सामाजिक न्याय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) विधान सभा क्षेत्र खनेगांव के पंचायतों द्वारा मांग रखने एवं मस्टर जमा करने के बाद कितने दिनों में राशि उनके खातों में डालना चाहिए जानकारी दें ?

(ख) क्या यह सच है कि खातेगांव जनपदों के डिमाण्ड होने के बाद भी 1-2 माह तक राशि नहीं डाली जाती है ? यदि यह सच है तो ऐसी गलती कहाँ हुई और क्यों हुई एवं पुनः यह गलती नहीं हो इस हेतु जांच कर दोषी के खिलाफ कार्यवाही कब तक की जावेगी ?

(ग) क्या सीओ खातेगांव के खिलाफ शिकायत की जांच एसडीएम कन्नौद ने की थी ? यदि हां तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

यथा संभाव्य जवाब

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद,

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59, सी-विंग, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल

ST-11/P-18

पृ. क्रमांक 3003/वि.स./एनआर-11/2011
प्रतिलिपि

मौखिक दिनांक 19/03/2011

- 1 कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि.पं. देवास..... म.प्र. की ओर विधानसभा प्रश्न की प्रति संलग्न कर लेख है कि उक्त प्रश्न का उत्तर दिनांक 24/03/2011 तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को 10 प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
- 2 आयुक्त उज्जैन..... संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 3 मुख्य अभियंता, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।

(प्रद्युम्न शर्मा)
संचालक
19/3/2011

जन.शि.एवंगुण.नि.प्रको.

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल

कार्या. फोन. नं. 0755-2551489 फॅक्स 2550094

ई-मेल: nrega@ypgoc.co.in rdcmp@yahoo.com